

बिहार सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक 06/9/2011

संख्या 15/एम 1-51/06(खण्ड) 2234 / आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम की धारा 4 तथा परिनियम की धारा 39(C), 19 तथा 12 (d) (ii) (3) में वर्णित प्रावधानों के तहत राज्य में संचालित निम्नलिखित महाविद्यालयों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाता है:-

1. Bhagalpur College of Engineering Bhagalpur
2. Nalanda College of Engineering, Chandī, Nalanda-803108
3. Motihari College of Engineering, Motihari
4. Gaya College of Engineering, Gaya
5. Darbhanga College of Engineering, Darbhanga
6. Lok Nayak Jai Prakash Institute of Technology, Chapra ( Mentor Institute) M.I.T. Muzaffarpur
7. M.I.T, Muzaffarpur.
8. Patna Medical College, Patna
9. Nalanda Medical College, Patna
10. Anugrah Narain Magadh Medical College, Gaya
11. Jawahar Lal Nehru Medical College, Bhagalpur
12. Darbhanga Medical College, Laheriasarai, Darbhanga
- 13-. S.K.M College, Muzaffarpur

यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत सभी विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(के०के०राय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 15/एम 1-51/06(खण्ड) 2234 /

पटना, दिनांक 06/9/2011

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/कुलपति आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव/सचिव मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के०के०राय)

सरकार के संयुक्त सचिव